

क्रमांक आशा या कार्यवाही

14/5/25 क.क.अ/ आपीत कुरेगा- पेवा  
 कर्के देण काम दिसा- जाकर  
 पत्रावली वारले आपीत कुरेगा  
 मापण दिनांक 19/5/25 को पेवा  
 लीगा

19/5/25 क.क.अ/ अधिकारता शिवापणी  
 आपीत कुरेगा पेवा कर्के देण  
 काम चांग ठोसा/ अगिला हवकर  
 दिसा जाकर आगांग पेवा पर आपीत  
 पेवा नही कर्के पर पत्रावली  
 का चुणाव चुण के साधारण पर  
 किकलाश कर दिसा कोपेगा/पत्रावली  
 वारले आपीत कुरेगा पेवा कर्के  
 देण दिनांक 21/5/25 को पेवा हो

21/5/25 प्रसादित ऑफीसर तसे कामकाश  
 पर का उक्त अगिला पेवा हेतु  
 दिनांक 26/5/25 को पेवा हो।  
 4

26/5/25 प्रसादित कामकाश  
 पर का उक्त अगिला पेवा हेतु  
 दिनांक 28/5/25 को पेवा हो।  
 4

28/5/25 पत्रावली पेवा हुई अधिकता  
 उभयपक्ष उपस्थित। अधिकता प्रति



फर्म अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमू (जिला-जयपुर ग्रामीण)

बनाम


मुकदमा नम्बर :- /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>वादी ने आपत्ति कुर्सेजात धेबा की, जिसे ब्या. मि. किया गया। वकील वादी ने आपत्ति कुर्सेजात का जवाब ना देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की आपत्ति कुर्सेजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तहसीलदार चौमू द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हम पाते हैं कि वकील प्रतिवादी द्वारा पेश आपत्ति कुर्सेजात बहस के द्वारा साबित नहीं होती है और ना ही आपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जो आपत्ति को साबित करते हैं अतः प्रा.पत्र आपत्ति कुर्सेजात खारिज किया जाता है साथ ही विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम बहस सुनकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं</p>	

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :- /

बनाम

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>फुर्दजात का गठन अवलोकन किया गया। फुर्दजात विद्यमान रूप से तैयार कर प्रेषित किये गए हैं अतः वादी का वाद मुताबिक फुर्दजात अंतिम डिफ्री किया जाता है निवृत्त पृथक् से लिखा जाकर शामिल मिसल हो डिफ्री पर्चा जारी हो पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दर्ज नंबर से कम हो निवृत्त आप दिनांक 28/05/25 को बुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली का दफतर हो</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)                      चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)                 </p>

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/गु0) चौमूं, जिला-जयपुर  
पीठारसीन अधिकारी :-कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:-29/2025

सनवान

सदाशम पुत्र रामप्रताप जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम


1. मीना कुमारी पत्नी रविशंकर, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रजनी पत्नी अशोक कुमार जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. सुमन पत्नी भरत, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. शान्ति देवी पुत्री रामप्रताप, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
7. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय


दिनांक :-28.05.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुर्रजात पेश किया गया जिस पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुर्रजात को खारिज किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
चौमूं, जयपुर (प्राथीग)


मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, भू०अ०नि० क्षेत्र नांगलभरखा, तहरसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 238 के आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है०, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 856/1742 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है०, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.50 है० कुल किता 13 का कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर राहिन हिस्सा 5/6 आरएमजीबी शाखा धोली सा०देह खातेदार का आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 853/2 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है०, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 856/1742 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 861/2 रकबा 0.3550 है० कुल किता 8 का कुल रकबा 1.7350 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा 1/2 राहिन हिस्सा 5/12 आरएमजीबी शाखा धोली, मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा को आराजी खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 853/1 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है० कुल किता 3 का कुल रकबा 0.16 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा जाति अहीर सा० नंदूडी की ढाणी ग्राम फतेहगढ खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है०, खसरा नम्बर 861/1 रकबा 0.1450 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.735 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

मुकदमा सं०-29/2025  
उनवान-सदाराम बनाम मीना कुमारी वगै०  
निर्णय दिनांक-28.05.2025

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।  
अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल  
दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फा० ट्रेक/मुख्यालय) चौमैँ

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:-29/2025

**उनवान**

सदाराम पुत्र रामप्रताप जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

**बनाम**

1. मीना कुमारी पत्नी रविशंकर, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रजनी पत्नी अशोक कुमार जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. सुमन पत्नी भरत, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. शान्ति देवी पुत्री रामप्रताप, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खंजरोली, जिला जयपुर।
7. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

**वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

मुकदमा नं०:-29/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरु श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 238 के आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 856/1742

**सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)**  
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)



रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है०, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.50 है० कुल किता 13 का कुल रकबा 3.63 हैक्टियर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर राहिन हिस्सा 5/6 आरएमजीबी शाखा धोली सा०देह खातेदार का आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 853/2 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है०, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 856/1742 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 861/2 रकबा 0.3550 है० कुल किता 8 का कुल रकबा 1.7350 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा 1/2 राहिन हिस्सा 5/12 आरएमजीबी शाखा धोली, मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा को आराजी खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 853/1 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है० कुल किता 3 का कुल रकबा 0.16 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा जाति अहीर सा० नंदूडी की ढाणी ग्राम फतेहगढ खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है०, खसरा नम्बर 861/1 रकबा 0.1450 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.735 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।  
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.05.2025 को जारी किया गया।

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
चौमूँ जयपुर (मार्कीण)

मोहर



दस्तखत (m n)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
ओझड़ा जयपुर (प्रांतीय)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

(m n)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
चौमूँ जयपुर (प्रांतीय)